लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 354
उत्तर देने की तारीख : 30.11.2021

जातिगत भेदभाव

354. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि देश में अभी भी जाति आधारित भेदभाव प्रचलित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) विगत दो वर्षों के दौरान जातिगत भेदभाव पर कुल कितने अपराध दर्ज किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास अठावले)

(क) से (ग): जाति आधारित भेदभाव एक सामाजिक बुराई है, जो अभी भी देश में मौजूद है और इसे सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। यह मंत्रालय अस्पृश्यता को समाप्त करने के कदम उठाकर, सभी को प्रगति के समान अवसर प्रदान कर और सभी के लिए समान आर्थिक तथा शैक्षिक अवसर प्रदान कर, इस प्रयास में योगदान करता है। यह मंत्रालय अंतर्जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहित करता है, जहां पति अथवा पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।

इसके अलावा, संसद का अधिनियम अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास से होने वाली किसी भी निर्योग्यता के लिए दंड का प्रावधान करता है, जो सामान्यत: जाति आधारित भेदभाव से उत्पन्न होती है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 भी लागू है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार पिछले दो वर्षो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराधों/अत्याचारों के लिए इन अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	पीसीआर अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत मामले	एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामले
2019	16	49,608
2020	25	53,886

****